

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-01/2022 (14 सिक्वोरिटाइजेशन)

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजिकृत कार्यालय-19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान।

---प्रार्थी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र श्री सतपाल जाति कुम्हार पता-वार्ड नं. 03, नई खुन्जा, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---(मूल ऋणी)

2. श्रीमती संतोष देवी पत्नी सतपाल जाति कुम्हार पता-पंचायत घर के पास, वार्ड नं. 03, नई खुन्जा, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---(सह ऋणी व बंधकग्रहिता)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश

दिनांक:-14.05.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) की ओर श्री पराग जैन वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि. के नाम से नॉन बैंकिंग कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध थी जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर था जिसका नाम एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. कर दिया गया एवं इसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के जयपुर कार्यालय से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके सीआईएन नं. एल 36911 आरजे 1996 पीएलसी 011381 है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं० एमयुएम 126 प्रदत्त किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा-42 की उपधारा 6 के खण्ड 'क' के अनुसारेण में अधिनियम की दूसरी अनुसूचि में सम्मिलित करने की अधिसूचना दिनांक 18.9.2017 को जारी की गई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि. जिसके द्वारा विपक्षीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। वर्तमान में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर में स्थित व कार्यरत है। बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.09.2018 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' के तहत 3,50,000/-रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्वोरिटी के रूप में नगरपरिषद, हनुमानगढ़ का द्वारा जारी एक आवासीय लीज डीड पट्टा दिनांक 15.01.2013 भूखण्ड पैमाईशी 108.61 वर्गगज है, जो कि संतोष पत्नी सतपाल जाति

W

कुम्हार सा. वार्ड नं. 03 नई खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम से आवंटित है। उक्त भूखण्ड की रजि. सब-रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 12.06.2013 को संतोष पत्नी सतपाल के पक्ष में पंजीकृत की गई है जिसको अप्राथीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्राथी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 11.01.2021 को ऋणी के खाता को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्राथी के खाता में बकाया राशि 3,67,760/- रुपये (अखरे तीन लाख सड़सठ हजार सात सौ साठ रुपये) बकाया रकम, ब्याज, शारितया व अन्य खर्चे दिनांक 06.07.2021 तक शेष व देय निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्राथीगण जिम्मेदार है।


प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 07.07.2021 अप्राथीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 12.07.2021 को प्रेषित किया जा अप्राथीगण को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्राथीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया। इसलिए प्रार्थी बैंक को उसके पास बंधक रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है।

अप्राथी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्राथीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्राथीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी उक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़ द्वारा जारी एक आवासीय लीज डीड पट्टा दिनांक 15.01.2013 भूखण्ड पैमाईशी 108.61 वर्गगज है, जो कि संतोष पत्नी सतपाल जाति कुम्हार सा. वार्ड नं. 03 नई खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम से आवंटित है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़